

तारीख हकूम
तारीख हकूम

हकूम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
हकूम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व आवेदन पत्र संख्या 893/2018 अनवान नन्दराम बनाम भंवराराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढाणी पर पत्रावली पेश हो।

(उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड (एसडीओ) बाड़मेर)

08.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 565 रकबा 152.06 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 565 रकबा 152.06 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त, होत्रे, पट, शापिल, गिम्बल, हो, पत्रावली, फौसल, सुसा, होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड (एसडीओ) बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढाणी

प्रार्थीगण
1 नन्दराम गोद पुत्र फुसाराम 2
गोमाराम पुत्र बागाराम 3 घमण्डाराम
पुत्र बागाराम जातियान जाट निवासी
अणदे का तला (जाखड़ों की ढाणी)
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 भंवराराम 2 रामाराम 3 हुकमाराम 4
कानाराम पिसरान हरजीराम 5 खेमीदेवी
पत्नी हरजीराम 6 खेमाराम पुत्र बाबुलाल 7
बाबुलाल पुत्र देवाराम 8 मानीदेवी पत्नी
देवाराम 9 रामाराम 10 लक्ष्मणाराम 11
लाखाराम पिसरान मेहराराम 12 सोनी देवी
पत्नी मेहराराम 13 चुन्नाराम पुत्र तिलाराम
14 गुलाराम पुत्र तिलाराम 15 भैराराम पुत्र
धुडाराम 16 सांवलाराम पुत्र हरजीराम 17
दुर्गाराम पुत्र हेमाराम 18 पन्नीदेवी पत्नी
हेमाराम 19 दौलाराम पुत्र सुरताराम 20
चुतराराम पुत्र बन्नाराम 21 दमाराम 22
जुंजाराम पुत्र गंगाराम 23 पूरोदेवी पत्नी
गंगाराम 24 जुगताराम 25 आसुराराम 26
टीकमाराम पिसरान हेमाराम 27 मूली देवी
पत्नी रूखगणाराम 28 गुणेशाराम 29
जगदीश 30 डालूराम 31 चैनाराम 32
नारणाराम पिसरान रूखमणाराम 33 मगाराम
पुत्र शेराराम 34 टीमू देवी पत्नी सोनाराम
35 मुकनाराम 36 भैराराम पिसरान सोनाराम
निवासीयान अणदे का तला (जाखड़ों की
ढाणी) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-893/2018 दिनांक-08.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला
बाड़मेर के खसरा नम्बर 565 रकबा रकबा 152.06 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित
करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

क्रमांक/रीडर/2021/ 5033-5036
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नन्दराम गोद पुत्र फुसाराम वगैरह जाति जाट निवासी अणदे का तला (जाखड़ों
की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भंवराराम पुत्र हरजीराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान अणदे का तला
(जाखड़ों की ढाणी) तहसील व जिला बाड़मेर।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 08/10/2021

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर